उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 535–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि /18–5–काविनी एवं वे0प्र0/16 **दिनांक 18 जून, 2018**

कार्यालय ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग), अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–67/2016/वे0आ0–2–1447/दस–04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के आधार पर सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से वेतनमान एवं भत्ते पुनरीक्षित किये जाने तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–999–काविनी एवं वे0प्र0–29/17–5–काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनांक 01.09.2017 के प्रस्तर–8 "वेतन मैट्रिक्स में अगली वेतन वृद्धि की तिथि" शीर्षक विषयांतर्गत वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–2/2018/वे0आ0–2–78/दस–2018–04(एम)/2016 दिनांक 31 जनवरी, 2018 द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण की अनुरूपता में कारपोरेशन कार्मिकों के सन्दर्भ में भी कार्यवाही किये जाने हेतु एतद्द्वारा नीचे स्तम्भ–1 में उल्लिखित वर्तमान प्रभावी व्यवस्थाओं को स्तम्भ–2 के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है :–

स्तम्भ–1	*स्तम्भ–2*
कार्यालय ज्ञाप सं0–999–काविनी एवं वे0प्र0–29/17–5–काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनांक 01.09.2017 के प्रस्तर–8 की वर्तमान व्यवस्थायें।	**कार्यालय ज्ञाप सं0–999–काविनी एवं वे0प्र0–29/ 17–5–काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनांक 01.09.2017 के प्रस्तर–8 की प्रतिस्थापित व्यवस्था।**
8.(1) 01 जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तिथियाँ होंगी अर्थात प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई। प्रत्येक कार्मिक को नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की तिथि के अनुरूप 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई में से केवल एक तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होगी।	01 जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तिथियाँ होंगी अर्थात प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई। प्रत्येक कार्मिक को नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की तिथि के अनुरूप 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई में से केवल एक तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होगी।
(2) ऐसा कर्मचारी, जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, **को वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जायेगी और ऐसा कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित**	ऐसा कर्मचारी, जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, **को आगामी 01 जनवरी को वेतन वृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी, कि उसे 01 जुलाई को वेतन वृद्धि का लाभ अनुमन्य न हुआ हो और ऐसे**

d:\seventh pay commission\5-kavini-16 main file\1301.doc

क्रमशः.....2

कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन दिया गया है, को वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जायेगी।	कर्मचारी जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, को आगमी 01 जुलाई को वेतन वृद्धि इस शर्त के अधनी अनुमन्य होगी कि उन्हें 01 जनवरी को वेतन वृद्धि का लाभ अनुमन्य न हुआ हो।
उदाहरण–	*उदाहरण–*
(क) ऐसा कर्मचारी जिसे दिनांक 02 जुलाई 2016 और 01 जनवरी 2017 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड–वेतन अनुमन्य हुआ है, **को अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2017 को देय होगी और इसके बाद में अगली वेतन वृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जुलाई 2018 को देय होगी।**	(क) ऐसा कर्मचारी जिसे दिनांक 02 जुलाई 2016 और 01 जनवरी 2017 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड–वेतन अनुमन्य हुआ है, **को अगली 01 जुलाई 2017 को वेतन वृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी, कि उक्त कार्मिक द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2017 को कोई वेतन वृद्धि आहरित न की गयी हो और इसके बाद वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जुलाई 2018 को देय होगी।**
(ख) ऐसा कर्मचारी जिसे दिनांक 02 जनवरी 2016 और 01 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड–वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतन वृद्धि 01 जनवरी 2017 को **देय होगी और इसके बाद में अगली वेतन वृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जनवरी 2018 को देय होगी।**	(ख) ऐसा कर्मचारी जिसे दिनांक 02 जनवरी 2016 और 01 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड–वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतन वृद्धि 01 जनवरी 2017 को **इस शर्त के अधीन देय होगी कि उक्त कार्मिक द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2016 को कोई वेतन वृद्धि आहरित न की गयी हो और इसके बाद वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जनवरी 2018 को देय होगी।**
परन्तु ऐसे कर्मचारियों, जिनका वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन दिनांक 01 जनवरी 2016 को	परन्तु ऐसे कर्मचारियों, जिनका वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन दिनांक 01 जनवरी 2016

निर्धारित कर दिया गया है और वह उसी लेवल में बने हुए हैं, तो उस लेवल में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2016 को देय होगी और इसके उपरान्त अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2017 को देय होगी।	को निर्धारित कर दिया गया है और वह उसी लेवल में बने हुए हैं, तो उस लेवल में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2016 को देय होगी और इसके उपरान्त अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2017 को देय होगी।

उपर्युक्त के फलस्वरूप कार्यालय ज्ञाप सं0–999–काविनी एवं वे0प्र0–29/17–5–काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनांक 01.09.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

सं0 : 535–(1)–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा)/(वित्त)/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. अनुसचिव (सचिवालय प्रशासन – लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

Gayatri Rastogi
(गायत्री रस्तोगी)
संयुक्त सचिव (काविनी)

d:\seventh pay commission\5-kavini-16 main file\1301.doc